

प्रश्न सं. [क. 846]

तारांकित प्रश्न क्रमांक 846

परिशिष्ट "अ"

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग,
// मंत्रालय, //
वल्लभ भवन, भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक 20-6-2013

क्रमांक 3- 22/2013/26-2/— /निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के तहत निःशक्त बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना" आदेश जारी होने के दिनांक से प्रारंभ की जाती है।

योजना के उद्देश्य एवं संचालन आदि की प्रक्रिया हेतु योजना की प्रति संलग्न है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

8/20/6/13
(श्रीमती एस.खड्गते)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग
भोपाल, दिनांक 20-6-2013

क्रमांक / एफ 3-22/2013/26-2/
प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, कार्यालय भोपाल
6. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
7. आयुक्त, सामाजिक न्याय, म.प्र., भोपाल
8. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.
9. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
10. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.
12. समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक, सामाजिक न्याय, म.प्र.

8/20/6/13
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सांसाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 18/07/2018

क्रमांक एफ 3 22/2013/26 2 मध्यप्रदेश शासन, सांसाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 3 22/2013/26 2, दिनांक 11/01/2018 में आंशिक संशोधन करते हुये मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रोत्साहन लाभ प्रदान किये जावेंगे :

निःशक्तता का प्रकार	सामग्री का नाम	सामग्री दी जाने की व्यवस्था
दृष्टिबाधित	लेपटॉप	9वीं कक्षा में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर
श्रवणबाधित	लेपटॉप	9वीं कक्षा में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर
अस्थिबाधित	लेपटॉप	9वीं कक्षा में प्राप्तांक 60 प्रतिशत होने पर 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर
अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम न्यूनतम 60: निःशक्ताता)	मोटरसाइज्ड ट्राइसाइकिल	10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर
मंदबुद्धि	लेपटॉप	9वीं कक्षा में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर

टीप:- दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 वीं में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटॉप प्राप्त करने पर द्वितीय बार आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर लेपटॉप की पात्रता नहीं होगी।

2/- मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के उपर्युक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य में जिस जिले के हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल / आई.टी.आई. में दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिया जाता है, उसी जिले द्वारा योजनांतर्गत नियमानुसार लाभ प्रदान किया जावेगा।

3/- आई.टी.आई. में प्रवेशित उन्ही छात्रों को उक्त योजनांतर्गत लेपटॉप प्रदाय किया जावेगा, जो कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पाठ्यक्रम अथवा कम्प्यूटर आधारित

8105 JUL 08

किरी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है ।

4/ दिव्यांगजन को किसी भी स्थिति में द्वितीय बार लेपटॉप/मोटरसाइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान नहीं की जावेगी/ तथा पूर्व में शासन की किसी भी योजनांतर्गत लेपटॉप प्राप्त नहीं किया गया है यह सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष प्रावधान मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2013 के संबंध में जारी परिपत्र क्र. एफ 3-22/2013/26-2 दिनांक 20.6.2013 अनुसार यथावत रहेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(चंद्रकान्त कश्यप)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्ताजन कल्याण विभाग

भोपाल दिनांक 18 /07/2018

पृ.क्रमांक एफ 3-22/2013/26-2

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, ग0प्र0 ग्वालियर।
5. विशेष सचिव, मा0मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्ताजन विभाग।
6. संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्ताजन कल्याण संचालनालय।
7. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण/ चिकित्सा शिक्षा/उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/ आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जनजाति कल्याण।
8. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय।
9. समस्त संचालकायुक्त, ग0प्र0।
10. समस्त कलेक्टर, ग0प्र0।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास।
12. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्ताजन कल्याण ग0प्र0।
13. समस्त प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, क्रमांक 1,2,3 भोपाल।
14. मर्ड फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्ताजन कल्याण विभाग

नि:शु

20 JUL 2018

NK-5

23/7/18

334

23.7.18

9/7/18
23-7-18